न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी. बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 04/2021 (निगरानी पंचायत)
GCMS No: 2021/11

अनवान

1. श्रीमती निर्मला देवी पत्नि चन्दुलाल जोगी, निवासी महावीर विद्या मन्दिर के पास, कृष्णघाट, ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)

– निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्री कन्हैयालाल कुम्हार पिता सुखलाल कुम्हार, निवासी कुम्हारवाड़ा, ऋषभदेव,जिला उदयपुर (राज.)
2. ग्राम पंचायत ऋषभदेव, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत ऋषभदेव, पंचायत समिति ऋषभदेव, जिला उदयपुर।

– विपक्षीगण / रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित

1. श्री अरूण जैन, अधिवक्ता निगरानीकर्ता।
2. श्री मनमीत सिंह, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1

निगरानी अंतर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत ऋषभदेव पट्टा जारी आदेश दिनांक 20.01.2004 (पट्टा संख्या 18033 मिसल संख्या 19/2001)

*** निर्णय ***

दिनांक– 09-03-2022

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी अंतर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे विपक्षी संख्या 2 द्वारा दिनांक 20.01.2004 को मिसल संख्या 19/2001 से आबादी भूमि का विक्रय विलेख (पट्टा) संख्या 18033 जारी किया गया। आबादी भूमि का पट्टा नीलामी के जरिये विक्रय किया जाता है, लेकिन कथित पट्टा विलेख को राशि 5000/– मे जारी करना बताया गया है और उक्त पट्टा राजस्व ग्राम धुलेव की आबादी भूमि आराजी संख्या 2391 रकबा 0.3500 हेक्टेयर पर कुल साईज 4395 वर्गफीट का जारी किया गया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी विधिक प्रक्रिया को अपनाये इतनी कम कीमत पर पट्टा जारी किया गया है, जिसका ग्राम पंचायत को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं। भूमि की डी.एल.सी. दर भी पट्टे की आवंटन राशि से अधिक हैं। विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 2 से जो प्रदत्त प्राप्त किया गया हैं, वह भूमि आबादी विस्तार के लिये है एवं उक्त आबादी विस्तार की भूमि के पीछे निगरानीकर्ता की निजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.03.14 10:35:59 IST
Reason: SelfAttested

भूमि हैं। विपक्षी संख्या 1 को अवैधानिक रूप से पट्टा प्राप्त कर प्रार्थीया के स्वामित्व व आधिपत्य की आबादी भूमि पर अतिक्रमण करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। पट्टे का जिला परिषद से विधि अनुसार अनुमोदन नहीं कराया गया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी प्लानिंग के आपसी मिलीभगत कर पट्टा जारी कराया हैं। विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 2 से मिलीभगत कर सर्वप्रथम अपने पिता के नाम से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करवाया, जिसमे विपक्षी संख्या 1 के पिता द्वारा यह बताया गया कि राजस्व ग्राम धुलेव मे रहने हेतु कोई मकान नहीं है। इसके उपरान्त ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच श्री नानालाल अहारी द्वारा दिनांक 21.03.2001 को अनुमोदन किया गया, किन्तु विपक्षी संख्या 1 के पिता द्वारा दिनांक 31.10.1994 को ही पट्टा प्राप्त करना बताया गया है एवं उक्त पट्टे मे जो भूमि बतायी गई है, वह 30बाई 45फीट की है। इस प्रकार विपक्षी संख्या 1 के पिता द्वारा भी विपक्षी संख्या 2 से मिलीभगत कर अत्यधिक भूमि हड़पने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर विपक्षी संख्या 2 द्वारा दिनांक 20.01.2004 को पट्टा जारी किया गया। उक्त निर्णय मे विपक्षी संख्या 1 के पिता को कुल 4395 वर्गफीट भूमि का पट्टा जारी करने का आदेश प्रदान किया गया। उक्त आदेश पूर्णतया विधि विरूद्ध हैं एवं विपक्षी संख्या 1 के पिता द्वारा पुनः दिनांक 23.08.1997 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमे भूखण्ड़ का नाप 30बाई 45 बताकर वाउण्डोवाल बनाने की स्वीकृति चाही है, जो स्पष्ट रूप से विपक्षी संख्या 1 व 2 की मिलीभगत को प्रदर्शित करती है। अतः निगरानीकर्ता द्वार प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे विपक्षी संख्या 2 द्वारा जारी कथित पट्टे को निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष रखने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी संख्या 1 की ओर से श्री मनमीत सिंह, अधिवक्ता द्वारा वकालात पत्र प्रस्तुत किया एवं प्रकरण मे बहस हेतु अनुरोध किया। मामले मे ग्राम पंचायत से मूल पत्रावली तलब की गई। उभय पक्ष द्वारा प्रकरण मे बहस हेतु अनुरोध करने पर बहस हेतु सुनवाई तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को निगरानीकर्ता के अधिवक्ता एवं विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता उपस्थित हुए। मामले मे सर्वप्रथम धारा 5 मयाद अधिनियम पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। निगरानीकर्ता के अधिवक्ता धारा 5 मयाद अधिनियम पर बहस प्रांरभ करते हुए अनुरोध किया कि उनके द्वारा विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध निगरानी इस न्यायालय मे पेश कर रखी है, जिसमे विपक्षी संख्या 2 द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे जारी कथित पट्टे को निरस्त करने हेतु आवेदन किया, विपक्षी संख्या 1 द्वारा जारी पट्टे की जानकारी निगरानीकर्ता को 01.02.2021 [illegible] हुई एवं पट्टे की प्रमाणित प्रति प्राप्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.03.14 16:35:59 IST
Reason: SelfAttested

होते ही उसके द्वारा निगरानी इस न्यायालय मे प्रस्तुत कर दी हैं, फिर भी निगरानी प्रस्तुत करने मे किसी प्रकार की देरी पायी जाती है तो न्यायहित मे विलम्ब की अवधि को कण्ड़ोन किया मेरिट पर प्रकरण को निर्णित किया जावे।

विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा बहस के दोरान कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टेधारक के पक्ष मे 2004 मे पट्टा जारी किया गया है एवं पट्टे का नियमानुसार शुल्क जमा किया गया हैं। निगरानीकर्ता को उक्त पट्टे की जानकारी प्रांरभ से ही हैं। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी लगभग 17 वर्ष बाद मयाद बाहर पेश की गई है एवं विलम्ब का कोई समुचित कारण नहीं बताया गया हैं। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी मयाद के बिंदु पर खारिज की जावें।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की मयाद पर बहस सुनने एवं रेकर्ड का गम्भीरता से अवलोकन करने के उपरान्त यह तथ्य स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उक्त निगरानी विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टे के लगभग 17 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की गयी है एवं मयाद कंडान किये जाने हेतु धारा 5, मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उभय पक्ष को सुनने एवं दस्तावेज के अवलोकन उपरान्त मेरा यह मानना है कि मात्र विलम्ब के आधार पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाना उचित नही है। प्रकरण मे पट्टे के सही एवं नियमानुसार जारी होने अथवा न होने के बिन्दु को तय किया जाना हैं तथा पट्टा सही है अथवा नही, यह तथ्य मेरिट पर ही तय किया जा सकता हैं। न्यायहित में निगरानीकर्ता के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब की अवधि को कंडोन की जाकर मेरिट पर प्रकरण निर्णित किया जाना हम उचित समझते है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 5, मयाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब की अवधि को कंडोन किया जाता है।

प्रकरण मे मूल निगरानी पर बहस सुनी गई। मूल निगरानी पर बहस प्रांरभ करते हुए निगरानीकर्ता के अधिवक्ता द्वारा निगरानी मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे नियम विरूद्ध विपक्षी संख्या 2 द्वारा पट्टा जारी करना, पट्टा डी.एल. सी. से भी कम दर पर राशि 5000/– मे दिया जाना, राजस्व हानि होना, जिला परिषद से अनुमोदन न होना, सरपंच के स्थान पर उपसरपंच द्वारा पट्टा जारी करना, क्षेत्राधिकारिता से परे पट्टा जारी होना, सरपंच सीट अनुसूचित जनजाति की होना, तत्कालीन अधिकारीयों एव कर्मचारियो की मिलीभगत होना आदि आधारों पर ग्राम पंचायत ऋषभदेव द्वारा जारी पट्टे को विधि विरूद्ध बताते हुये निरस्त करने की मांग की एवं निवेदन किया कि ग्राम पंचायत उक्त साईज का पट्टा जारी नही कर सकती हैं एवं निगरानीकर्ता जागरूक नागरिक है एवं गलत कार्य को चैलेंज करना का उसका पूर्ण

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.03.14 10:35:59 IST
Reason: SelfAttested

अधिकार हैं। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जावें एवं कथित पट्टा निरस्त किया जावें।

विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता ने बहस मे भाग लेते हुए निगरानीकर्ता का हितबद्ध व्यक्ति न होना, निगरानी मयाद बाहर होना अवगत कराया एवं निवेदन किया कि उसके पक्ष मे जारी पट्टे के कार्यालय रेकर्ड मे कांट–छांट की गई है। जिस दिन प्रार्थीया को पट्टा जारी हुआ है, उसी दिवस को विपक्षी संख्या 1 को भी ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया है। यदि विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे को गलत माना जाता है तो निगरानीकर्ता के पक्ष मे जारी किया हुआ पट्टा भी पूर्णतया अवैध हैं। इसकी पुष्टि दोनो पट्टो की पत्रावली से होती है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार की जाकर विपक्षी संख्या 2 द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे जारी कथित पट्टे को यथावत रखे जाने का आदेश प्रदान करावें।

हमने निगरानीकर्ता के अधिवक्ता एवं विपक्षी सख्या 1 के अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गंभीरता से मनन किया। ग्राम पंचायत ऋषभदेव से प्राप्त पत्रावली संख्या 19/2001 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 2 के समक्ष आवेदन करन पर ग्राम पंचायत ऋषभदेव द्वारा पट्टा संख्या 18033 दिनांक 20.01.2004 को जारी किया गया हैं। पत्रावली मे उपलब्ध मौका पर्चा रिपोर्ट, नजीर नक्शा एवं पट्टे की कार्यालय प्रति मे पट्टे की साईज मे कांट छांट की गई हैं। पत्रावली मे सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पट्टे के आवेदन पर सरपंच के हस्ताक्षर/मार्किंग एवं पट्टे की कार्यालय प्रति पर सरपंच के हस्ताक्षर भिन्न–भिन्न हैं। ग्राम पंचायत की आदेशिका के प्रारंभ एवं अन्त मे भी सरपंच के हस्ताक्षर पृथक पृथक हैं। पत्रावली मे उपलब्ध नजरी नक्शा, आपत्ति पत्र इत्यादि पर हस्ताक्षर के नीचे हस्ताक्षरकर्ता का पद उपसरपंच अंकित है एवं इसी हस्ताक्षर से विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे पट्टा जारी किया जाना स्पष्ट हैं। सरपंच के स्थान पर उपसरपंच को ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर पट्टा जारी करने की कोई अधिकारिता नहीं हैं। उपसरपंच के पास विधिक रूप से सरपंच का कार्यभार हा, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर नही है। क्षेत्राधिकारिता से परे सरपंच क स्थान पर उपसरपंच द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे जारी पट्टे को विधिमान्य नहीं माना जा सकता है एवं उक्त पट्टा प्रथम दृष्ट्या ही त्रुटिपूर्ण परिलक्षित होने से निरस्त किये जाने योग्य पाया जाता ह।

मामले मे यह भी कहना उचित होगा की ग्राम पंचायत ऋषभदेव द्वारा जारी पट्टो को निरस्त करने हेतु अनेक निगरानीया इस [illegible] मे प्रस्तुत हो रही हैं एवं अधिकांश पट्टे नियम विरूद्ध, बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये [illegible] होना पाये जा रहे है, जो गंभीर जांच का विषय हैं। ऐसी स्थिति मे विकास अधिकारी, प.स. ऋषभदेव के स्तर पर दल

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.03.14 10:35:59 IST
Reason: SelfAttested

गठित कर इस प्रकार जारी पट्टो की जांच किया जाना तथा नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही किये जाने के निर्देश जारी किया जाना उचित समझते हैं।

अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर विपक्षी संख्या 2 ग्राम पंचायत ऋषभदेव, जिला उदयपुर द्वारा मिसल संख्या 19/2001 द्वारा विपक्षी संख्या 1 श्री कन्हैयालाल के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 18033 निरस्त किया जाता है एवं यदि विपक्षी संख्या 1 पट्टे की पात्रता रखता हो तो नवीन सिरे से आवेदन कर, जिस पर ग्राम पंचायत पूर्णतया विधिक प्रक्रिया का अनुसरण कर अग्रिम कार्यवाही करें। साथ ही विकास अधिकारी, पचायत समिति, ऋषभदेव को निर्देश दिये जाते है कि ग्राम पंचायत ऋषभदेव द्वारा जारी पट्टो की नियमानुसार जांच करावें तथा विधि विरूद्ध पाये जाने वाले पट्टो को निरस्त करवाने तथा गलत पट्टे जारी करने वाले सरपंच/कार्मिको के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करे।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। निर्णय की एक–एक प्रमाणित प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद उदयपुर, विकास अधिकारी प.स. ऋषभदेव को प्रेषित की जावे एवं ग्राम पंचायत ऋषभदेव को मूल पत्रावली संख्या 19/2001 मय निर्णय पालनार्थ प्रेषित की जावें।

(ओ.पी.बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.03.14 10:35:59 IST
Reason: SelfAttested